To Release the Amount for Construction of houses of BPL Families

*__1539.__ **SH. INDURAJ NARWAL, M.L.A.**: Will the Development & Panchayats Minister be pleased to State the year wise details of the total amount released by the Government for the construction of houses to the BPL families in Baroda Assembly constituency from the year 2019 till to date togetherwith the time by which the pending amount for construction of houses to the BPL families in Baroda Assembly constituency is likely to be released?

REPLY

KAMAL GUPTA, HOUSING FOR ALL, MINISTER

Sir,

Under PradhanMantriAwasYojana-Gramin (PMAY-G) guidelines, financial assistance is given to such beneficiaries who have 0 or 1 or 2 room kutcha house surveyed under the Socio-Economic and Caste Census-2011 (SECC-2011) without considering their BPL status. As per SECC-2011, all the 274eligible beneficiaries of Baroda Assembly Constituency have been provided financial assistance of Rs. 377.19 Lakh for constructing their pucca houses during the years 2016-17 and 2017-18. Further, in 2019 Government of India invitedapplications on Awaasplusportalfor financial assistance under PMAY-G from those rural families who were left out from SECC-2011 database.Accordingly, 1875 applications were registered in Baroda Assembly Constituency, out of which, 1161 applicants were found eligible after physical verification.No target was allocated for Sonepat district during 2019-20 & 2020-21 by the Government of India. However, a target of 56 houses for Baroda Assembly Constituency has now been allocated for the year 2021-22. Financial assistance to the beneficiaries for constructionof these targeted 56 houses will be provided soon and remaining applicants will be provided financial benefits on receipt of target from Government of India.

बीपीएलपरिवारों के घरों के निर्माण के लिए राशिजारीकरनेबारे।

* 1539. **श्रीइंदूराजनरवाल,विधायकः** क्या विकास एवं पंचायत मंत्री कृप्या यह बताने का कष्ट करेंगे कि बरोदा विधानसभा क्षेत्र में से बीपीएल परिवारों को आवास निर्माण के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2019 से अब तक जारी कुल राशि का वर्ष वार ब्यौरा सहित बरोदा विधानसभा क्षेत्र में बीपीएल परिवारों को आवास निर्माण की लम्बिंत धनराशि कब तक जारी कर दी जाएगी?

कमलगुप्ता, हाउसिंग फॉर ऑल, मंत्री

श्रीमान् जी,

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंर्तगत ऐसे लाभार्थियो ंजिन के पास सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना–2011 के अनुसार 0, 1 व 2 कमरे का कच्चा मकान है, उनकी बीपील स्थिती को ध्यान में न रख कर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना–2011 के अनुसार बरोदा विधानसभा के सभी योग्य 274 लाभार्थियों को उनके मकान बनाने के लिए 2016–17 तथा 2017–18 में 377.19 लाख रूपये की वित्तिय सहायता उपलब्ध करवाई जा चुकी है।भारत सरकार द्वारा उन ग्रमीण परिवारों से, जो कि सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना–2011 (एस.ई.सी.सी–2011) डाटाबेससेबाहररह गए थे, कोइसस्कीममेंवित्तिय सहायताउपलब्ध करवानेहेतू वर्ष–2019 मेंआवासप्लसपोर्टलपरआवेदनआमंत्रित किए गए थे।तदानुसार, बरोदाविधानसभा क्षेत्र में 1875 पंजीकृतआवेदनोंमेंसे 1161 आवेदकभौतिक शनिाख्त के बादपात्र पाये गए थे।भारतसरकार द्वाराजिलासोनीपत के लिए वर्ष 2019–20 व 2020–21 के लिए कोई लक्ष्य नहींदियागया।फिरभी, अबबरोदाविधानसभा क्षेत्र के लिए वर्ष 2021–22 में 56 घरोंका लक्ष्य दियागयाहै।अतः 56 लक्षितलाभार्थियोंकोमकानबनाने के लिए वित्तिय सहायता शीघ्रहीउपलब्ध करवादीजाएगीतथा शेषआवेदकोंकोवित्तिय लाभभारतसरकारसे लक्ष्य प्राप्त होने पर दिया जाएगा।

बीपीएलपरिवारों के घरों के निर्माण के लिए राशिजारीकरनेबारे।

* 1539. **श्री इंदूराज नरवाल, विधायक** : क्या विकास एवं पंचायत मंत्री कृप्या यह बताने का कष्ट करेंगे कि बरोदा विधानसभा क्षेत्र में से बीपीएल परिवारों को आवास निर्माण के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2019 से अब तक जारी कुल राशि का वर्षवार ब्यौरा सहित बरोदा विधानसभा क्षेत्र में बीपीएल परिवारो को आवास निर्माण की लम्बिंत धनराशि कब तक जारी कर दी जाएगी?

कमलगुप्ता, हाउसिंग फॉर ऑल, मंत्री

श्रीमान् जी,

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंर्तगत ऐसे लाभार्थियों जिनके पास सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना–2011 के अनुसार 0, 1 व 2 कमरे का कच्चा मकान है, उनकी बीपील स्थिती को ध्यान में न रख कर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना–2011 के अनुसार बरोदा विधानसभा के सभी योग्य 274 लाभार्थियों को उनके मकान बनाने के लिए 2016–17 तथा 2017–18 में 377.19 लाख रूपये की वित्तिय सहायता उपलब्ध करवाई जा चुकी है। भारत सरकार द्वारा उन गम्रीण परिवारों से, जो कि सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना–2011 (एस.ई.सी.सी–2011) डाटाबेस से बाहर रह गए थे, कोइ स्कीम में वित्तिय सहायता उपलब्ध करवाने हेतू वर्ष–2019 में आवास प्लस पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किए गए थे। तदानुसार, बरोदा विधानसभा क्षेत्र में 1875 पंजीकृत आवेदनों में

से 1161 आवेदक भौतिक शनिाख्त के बाद पात्र पाये गए थे। भारत सरकार द्वारा जिला सोनीपत के लिए वर्ष 2019–20 व 2020–21 के लिए कोई लक्ष्य नहीं दिया गया। फिर भी, अब बरोदा विधानसभा क्षेत्र के लिए वर्ष 2021–22 में 56 घरों का लक्ष्य दिया गया है।अतः 56 लक्षित लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए वित्तिय सहायता शीघ्र ही उपलब्ध करवा दी जाएगी तथा शेष आवेदकों को वित्तिय लाभ भारत सरकार से लक्ष्य प्राप्त होने पर दिया जाएगा।